न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या : 86 / 2021

भोलाराम पुत्र श्री श्योचन्द जाति माली निवासी फीरास का ढाणी तन खुडाना तहसील चिडावा जिला झुझुनू।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. महेश कुमार सैनी पुत्र श्री ओकारमल सैनी जाति माली निवासी फीरास की ढाणी तन खुडाना तहसील चिडावा जिला झुझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब तहसील चिडावा जिला झुझुनू।

–– रेस्पोडेन्टस

– – –

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चिडावा दिनांक 23.09.2021 बमुकदमा उनवानी महेश कुमार बनाम भोलाराम अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 2 / 2021

———

उपस्थित :–

1. श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री लोकेश शर्मा, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – सरकार पैरोकार

आदेश

दिनांक 22.12.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 23.09.2021 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के संक्षेप में तथ्य निम्नप्रकार से है :– रेस्पोडेन्ट नं. 1 महेश कुमार सैनी पुत्र श्री ओकारमल सैनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि गांव के मुख्य रास्ते पर खसरा नं. 456 व 457 स्थित है। जिनके मध्य खसरा सं. 456 के साथ लगती भूमि से खसरा सं. 456 की उतरी दिशा के छोर से पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर कदीमी पुराना रास्ता प्रचलित रहा है जो करीबन 11 फुट का मौके पर रहा है उक्त रास्ते से

ही करीबन 150 से 200 लोग जो करीबन 15 घरो के रूप में आगे खसरा नं0 455 गैर मुमकीन आबादी व अन्य खसरान में आबाद है से आया जाया करते है। यहां ये उल्लेखनीय है कि उक्त रास्ते के अलावा करीबन 20 खसराओं के लिये व आबादी भूमि में बसे 20 परिवारो के लिये इसके अलावा कोई रास्ता है ओर न तो पूर्व में था ओर न आज है, उक्त रास्ता खसरा नं0 456 में सैकडो वर्षो से भी अधिक समय से बदस्तुर चला आया कुछ समय पूर्व तक उक्त रास्ते की चौडाई मौके पर 11 फुट रही व इस रास्ते का उपभोग उपयोग प्रार्थीगण व उसके परिवार सैकडो वर्षो से करते रहें। आबादी भूमि के बाद खसरा सं0 453 और 471 के पास खसरान में प्रार्थीगण के समस्त परिवारो के पूर्वजो के द्वारा कुछ भवन सामाजिक उपभोग के लिए प्रार्थीगण ने आम जन के लिये आगंनबाडी केन्द्र के लिये कोई अन्य जमीन न होने पर आबादी भूमि के पास लगती स्वयं की खातेदारी की भूमि सरकार को दान की जिसके पश्चात सरकार द्वारा वहा पर आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण करवाया गया ओर उसके बाद से बदस्तुर आंगनबाडी केन्द्र वहां आज भी संचालित हो रहा है यहां ये उल्लेखनीय है उक्त आंगनबाडी केन्द्र पर तीन–चार हजार लोगो के जन समूह में से गर्भवती महिलाये अपना ईलाज करवाने के लिये आती है तथा अन्य सामाजिक, सरकारी लाभदायी योजनाओ का लाभ भी आंगनबाडी केन्द्र पर किया जाता है। उक्त स्थल ढाणी फिरांस वाली के नाम से अलमशहूर है। भोलाराम पुत्र श्योचन्द जो खसरा सं0 456 का खातेदार है। उक्त भूमि पर गत 2015 से उक्त कदीमी 11 फीट के रास्तें में रूकावट पैदा कर रहा है जिसके चलते प्रार्थीगण ने कई बार मौखिक रूप से शिकायत सक्षम अधिकारियों के समक्ष की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा सं0 456 व 457 भोलाराम व उनके सामूहिक खातेदारी का चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में डोटेड लाईन के रूप में दर्ज है। उक्त भोलाराम ने गत दिनांक लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए डोटेड लाईन वाले कदीमी रास्ते की करीबन 7 फीट भूमि दबाकर अवैध अतिक्रमण कर दीवार का अवैध रूप से निर्माण कर लिया 100 वर्ष से अधिक चले आ रहे रास्ते को संकडा कर दिया। उक्त खसरा सं0 456 के खातेदार जो 457 के संयुक्त खातेदार है। उक्त भोलाराम जानबूझकर डोटेड लाईन स्थित रास्ते पर अतिक्रमण कर दीवार बनाई है। जिसके कारण प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासियों का वहां आनें जाने का रास्ता मात्र 4 फुट का रह गया है 4 फुट के रास्ते से न तो गर्भवती महिलायें किसी साधन से आंगनबाडी केन्द्र तक पहुॅच पाती है ओर न ही आंगनबाडी केन्द्र तक जाने वाले अन्य मेडिकल सुविधा के सामान एवं अन्य उपकरण आदि आंगनबाडी केन्द्र तक नही जा सकते है यहां ये भी उल्लेखनीय है कि खसरा सं0 457 व 456 की भूमि पर उक्त खाली स्थल को प्रचलित रास्ता को संकडा कानूनन नही किया जा सकता है। बल्कि प्रचलित डोटेड लाईन वाले रास्ते को जन उपयोग में व रास्ते के उपयोग हेतु बढाया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण जो गाय, भैंस आदि रखते है। आम तौर पर उनके लिए न तो कोई चिकित्सा सुविधा ली जा सकती है और न ही उनके लिए कोई सामान लाया जा सकता है। अन्तिम संस्कार के लिये भी उक्त रास्ते को ही उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। मौके पर खाली भूमि विध्यमान है जिससे रास्ते को बढाया जा सकता है व अतिक्रमण की हुई भूमि को मुक्त कराया जा सकता है तथा अतिक्रमित रास्ते पर अवैध निर्मित दीवार को भी तोडा जाना चाहिए। इस बाबत पूर्व में भी मौका रिपोर्ट जमीन रास्ते की चौडाई तीन मीटर 69 मीटर लम्बी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा सं. 456 के

साथ लगती डोटेड लाईन की रास्ते की अतिक्रमित भूमि जो प्रचलित रास्ते की भूमि के अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता विधिवत 11 फुट का चौडा करवाने की कृपा करे। पूर्व में संभागीय आयुक्त साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर आस्वस्त किया गया था की रास्ता खुला दिया जायेगा।

(**ख**) उपरोक्त अनुसार शिकायत न्यायालय में पेश होने पर अपीलार्थी की तलबी के पश्चात अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा वास्तविक तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखते हुए प्रारंभिक आपत्तियॉ भी उठायी गयी जो निम्न प्रकार है:–

1. आवेदक ने उक्त आवेदन पत्र मे मुख्य सिद्धी तथाकथित प्रचलित रास्ते को 11 फुट चौडा करने की सिद्धि चाही है। तथाकथित रास्ते को चौडा करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है।
2. उक्त तथाकथित रास्ते बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा में रामस्वरूप बनाम मंगलाराम वगैरह, मुकदमा नम्बर 94/2015, अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र विचाराधीन है जो हस्तगत प्रकरण से पूर्व का है इस कारण से उक्त तथाकथित रास्ते बाबत भिन्न भिन्न न्यायालयों में आवेदन विचाराधीन होने से इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है व आवेदन पत्र धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत कार्यवाही रोकने के अलावा अन्य कोई उपचार नही है।
3. उक्त तथाकथित रास्ते बाबत आवेदक ने आवेदन पत्र में 4 फुट रास्ता होना व 4 फुट रास्ता मौके पर चालू होना बताया हैं। तथाकथित रास्ता मौके पर चालू होना बताया है। तथाकथित रास्ता सैटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से पगडण्डी के रूप में दर्ज किया है। यदि रास्ता कायम भी किया जावे तो रिकार्ड में दर्ज पगडण्डी जो 3 फुट है, उससे ज्यादा रिलीफ देने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है तथा आवेदक ने 4 फुट रास्ता चालू बताया है।
4. उक्त रास्ता कभी नही रहा है तथा ना ही कभी माप में लिया है। आवेदक ने गलत नक्शें के आधार पर गलत आवेदन पेश किया है। उक्त तथाकथित रास्ता 12 साल दौरान व उससे अधिक समय से कभी प्रचलन में नही रहा है। इसी कारण से आवेदक ने कस्टमरी राईट्स व इजमेन्ट में तथ्य आवेदन पत्र में दर्ज नही किये ही आवेदक ने रंजिश वश झूठा आवेदन पत्र पेश किया है।
5. आवेदक ने खसरा नं0 456 के समस्त सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। इस कारण से बिना सहखातेदारो को सुने व पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना कोई आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता है।
6. आवेदक ने धारा 251 की शर्तें आवेदन पत्र में दर्ज नही की है तथा उपयोग व उपभोग में लेने के तथ्य दर्ज नही है तथा ना ही दर्ज किया है कि बिना आवेदक की सहमति से कोई बाधा कारित की गई हो तथा ना ही यह दर्ज किया गया है कि बाधा कब पैदा की गई।

7. आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा व शपथ पत्र पेश नही किया है बिना नजरी नक्शे के आवेदन पत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। उक्त आवेदन पत्र में मौके की जांच रिपोर्ट नही है, इस कारण से मौके की जांच रिपोर्ट पेश होने पर अनावेदक अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये अतिरिक्त जवाब देने हेतु स्वतंत्र है।

ग्राम बुडाना में खसरा नं. 456, 445, 446, 452, 453, 461, 462, 463, 470 होना स्वीकार हैं। लेकिन यह गलत दर्ज किया गया है कि खसरा सं0 456 की उतरी दिशा में छोर से पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा की ओर कदीमी पुराना रास्ता रहा हो। यह भी गलत दर्ज है कि तथाकथित रास्ता 11 फुट रहा हो। उक्त तथाकथित रास्ते बाबत 150–200 लोगो का आवागमन करने के गलत तथ्य दर्ज किये है। यह गलत दर्ज किया गया है कि उक्त आबादी में बसे लोगो का अन्य कोई रास्ता ना हो। बल्कि आबादी के उत्तर की तरफ रास्ता मौजूद है तथा उसी रास्ते को आबादी में बसे हुये लोग काम मे लेते रहे है। खसरा नं0 456 में कभी कोई रास्ता नही रहा हैं तथा इसी कारण से खसरा सं0 456 की किस्म चाही प्रथम रिकार्ड में दर्ज है तथा काश्त होती रही है। उक्त तथाकथित रास्ते को काम में लेने व आवागमन करने के गलत तथ्य दर्ज किये है। अनावेदक ने कोई अतिचार नही किया है। अनावेदक की दीवार अपनी खातेदारी की भूमि में है जो आवारा पशुओ की सुरक्षा कें लिए बनाई गई है। अनावेदक के खेत से रास्ता निकालने या चौडा करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नही है।

(ग) उपरोक्त वर्णित अनुसार अपीलार्थी द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जवाब के अनुसार गैर अपीलार्थी नं0 1 योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक था ने तथाकथित पगडंडी को रास्ता बताते हुए उसकी चौडाई 3 फुट से बढाकर 11 फुट तक किये जाने की प्रार्थना की गयी जो योग्य अधीनस्थ के क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब में आपति भी उठायी गयी थी इसके अलावा हस्तगत अपील में विवादित खसरा सं0 455, 456 में से रास्ता चाहने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत विधिवत दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चिडावा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो उनवानी रामस्वरूप आदि बनाम मंगलाराम आदि है जिसके मुकदमा 94/2015 है जो अभी तक न्यायालय में लम्बित है जिसमें आगामी सुनवाई पेशी ....है इस प्रकरण में अपीलार्थी भोलाराम को पक्षकार प्रतिवादी नं0 05 संयोजित किया गया है तथा हस्तगत अपील में गैर अपीलार्थी नं0 01 भी दावा के आवेदकगण रामस्वरूप के कुणबे का ही सदस्य है जो झाबरमल, दारासिह आदि के भाई औकारमल का पुत्र है अर्थात उन्ही पक्षकारो के बीच एक ही विषय वस्तु के बाबत जब सक्षम न्यायालय में मुकदमा पूर्व से लम्बित हो तो अन्य न्यायालय में मुकदमा पेश नही किया जा सकता अर्थात पश्चातवर्ती प्रकरण पर कार्यवाही धारा 10 सी.पी.सी. के तहत स्थिगित किये जाने योग्य है परन्तु इस आपति पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया और मनमाने तरीके से अथवा किसीा दबाव में अथवा प्रलोभन में अलोच्य निर्णय पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित आपतियां पेश कि जाती है :–

1. निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विरूद्ध कानून पत्रावली एवं विरूद्ध न्याय है।

जिला कलक्टर झुन

2. धारा 251आरटी एक्ट की व्यवस्था यह रही है कि यदि कोई किसी विद्यमान रास्ते में रूकावट डाली है या अवरोध पैदा किया जाता है तो उसे कानून के प्रावधानो के अनुसार खुलवाया जा सकता हैं इस प्रकिया में न्यायालय को यह देखना होता है कि विवादित स्थान पर कोई रास्ता अथवा पगडण्डी रही है जबकि हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत किये रिकार्ड में मुताबिक मौके पर पगडंडी के रूप में रास्ता होना अंकित किया हैं काश्तकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पगडडी 1.5 फुट चौडी होना प्रावधायी है तथा रास्ता की चौडाई पगडंडी से ज्यादा होती है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत कि गयी है जिससे ये साबित हो कि विवादित स्थल पर खसरा नं0 455, 456 में कभी रास्ता रहा हो और ना ही मौजुदा समय में है। इस संबंध में योग्य अधीनस्थ के समक्ष ना तो मौखिक ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है फिर भी आलोच्य आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।
3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विद्यमान रास्ते की चौडाई 3–4 फुट से बढाकर 11 फुट तक बढाये जाने की प्रार्थना की गई जिसके बाबत योग्य अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था इसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

"धारा 251 मार्ग तथा अन्य निजि सुखाचारो के अधिकार – (1) किसी भू–धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभाग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप में उसकी सम्मति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्न ग्रस्त भू–धारक के आवेदन पर ओर ऐसे उपभोग ओर विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिये आदेश दे सकेगा। ओर धारक आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार अथवा सुखाचार को, जिसका दावा वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद द्वारा कर सके, स्थापित करने से विवर्जित नही करेगा।"
4. उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार धारा 251 में किसी भी विद्यमान रास्ते में उत्पन्न व्यवधान को खोले जाने हेतु न्यायालय को सशक्त किया गया है जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुऐ उसे रास्ते की चौडाई 3 मीटर व लम्बाई 79 मीटर होना मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया है।

जिला कलक्टर झालावाड़

5. आलोच्य निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर द्वितीय पैराग्राफ में पटवारी हल्का की रिपोर्ट को जिक्र करते हुए खसरा नं0 456 में पगडण्डी की चौडाई उसे 3 से 4 फुट चौडा होना अंकित किया है जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में ट्रेस नक्से में डोटेड लाईन से स्थित रास्ते की चौडाई 11 फीट मानी है। जबकि डोटेड लाईन से दिखाई पगडण्डी की चौडाई 1.5 से 3 फीट चौडी होती है। इस तथ्य पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना करके मनमाने तरीके से कानून का अर्थ लगाने का गलत प्रयास किया है।
6. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पढने से स्पष्ट प्रतित होता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित आवेदन पत्र का निस्तारण करने के लिए आवेदक पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि रास्ते को 100 वर्ष पुराना होना कहा गया है इसके बावजूद भी इस बारे में कोई भी साक्ष्य आवेदक की ओर से प्रस्तुत नही की गयी है।
7. अपीलार्थी के पुत्रान सत्यवीर एवं हरीसिह तथा चचेरे भाई रामस्वरूप एवं गैर अपीलार्थी नं0 1 के मध्य इस बारे में पहले भी विवाद हुआ था। उस समय दोनो पक्षो में यह समझौता किया गया कि यदि अपीलार्थी की भूमि में से हम रास्ता लेगे तो 28X27 फुट कुल 275 वर्ग फीट का भूखण्ड एवं 35 X 34 फुट कुल 1190 वर्ग फीट इस प्रकार कुल 275+1190 वर्गफीट 1946 वर्गफीट भूमि भूखण्ड के रूप में देना तय किया जिसकी बाबत दोनो पक्षो मध्य हुई लिखावट दिनांक 27.06.2015 को कि गयी जिस पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान ना देकर भंयकर कानूनी भूल की है।
8. उपरोक्त वर्णित अनुसार योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत इन्टरप्रटेशन किया है तथा अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास ना करने मे भयंकर कानूनी भल की है।
9. निर्णय अधीनस्थ न्यायालय **speking order** की श्रेणी में भी नही आता है।

अतः अपील अपीलार्थी सेवामे प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, तहसील चिडावा दिनांक 23.09.2021 बमुकदमा उनवानी महेश कुमार बनाम भोलाराम अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में फरमाया गया है को निरस्त फरमाया जावे खर्चा हर दो अदालत अपीलार्थी को गैर अपीलार्थीगण से दिलाया जावे। तथा अन्य सिद्धि जो अपीलार्थी के हक में हो ओर भूलवंश चाही जाने से रह गयी हो वह भी अपीलार्थी को दिलायी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के समक्ष रास्ता चौडा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 मे जहां पंचायत है वहां प्रार्थना पत्र की

जिला कलक्टर

सुनवाई पहले ग्राम पंचायत द्वारा की जावेगी न कि तहसीलदार द्वारा। तहसीलदार प्रकरण में सीधे ही कार्यवाही नहीं कर सकता है। तहसीलदार चिड़ावा ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। इस संबंध में 251 का दावा भी उपखण्ड अधिकारी के यहां चल रहा है। रेस्पोडेन्ट नया रास्ता मांग रहा है। रेस्पोडेन्ट का उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा खारिज हो गया इसलिए तहसीलदार को रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि के मौके पर रास्ता डोटेड है न कि कटानी। मौके पर रास्ता चालू है एवं मौके पर रास्ता 6 से 7 फीट चौड़ा है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अदालत मातहत की मंशा रास्ते को 15 गुणा 262 फीट लम्बा चौड़ा करने की है। रास्ता चौड़ा करने का अधिकार तहसीलदार चिड़ावा को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 को निरस्त किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्टस के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वकील अपीलान्ट न्यायालय को गुमराह कर रहे है। वकील अपीलान्ट ने पटवारी हल्का की जिस रिपोर्ट पर बहस की जा रही है वह 03.10.2017 की रिपोर्ट है जबकि प्रकरण अदालत मातहत में 2021 में दर्ज हुआ है। विवादित भूमि के मौके पर आंगनबाड़ी के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा राज्य सरकार को जमीन दान की गई जिसके लिए भी यह रास्ता लगता है। उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में रेस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं है एवं दावा अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है। विवादित भूमि का रिकार्ड के अनुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता है जिसे अपीलान्ट बन्द करना चाहता है। अपीलान्ट एक तरह से विवादित भूमि पर अतिक्रमी है। रिकार्ड के अनुसार जितना रास्ता है रेस्पोडेन्ट उतना चौड़ा रास्ता ही खुलवा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत् है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा निराधार तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार है यथा :–

1. प्रकरण में अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में जहां ग्राम पंचायत है वहां प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सीधे कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलान्ट ने नजीर RLW 2010(1) RJ 23 प्रस्तुत की जिसके अनुसार " Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec.

251 – Opening of 'Rasta'- Jurisdiction of Tehsildar- Application u/s. 251 submitted directly before Tehsildar – Issued notice- Refused to accept – Pasted on the house – Ordered to open Rasta in *ex-parte* proceedings – Appeal dismissed – Held – Jurisdiction u/s. 251 for first 45 days lies to Gram Panchayat and thereafter to Tehsildar – Ground of decision in not cogent – Committed illegality – Despite of concurrent finding warrants interference – Matter remanded to Gram Panchayat " उक्त नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना आवेदन ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत न कर सीधे तहसीलदार चिड़ावा के यहां प्रस्तुत किया है। जिसका खण्डन भी रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है।

2. अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में फिरास की ढाणी तन खुड़ाना स्थिति भूमि खसरा नम्बर 456 में मौके पर कहीं 3 से 4 फुट व कहीं 5 से 6 फुट पगडण्डी मानते हुये रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के नजरी नक्शे में दर्शायी गई डोटेड पगडण्डी को सुगम आवागमन हेतु खुलवाये जाने के आदेश दिये है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के अनुसार डोटेड रास्ता जो एक मौसमी रास्ता है को खोलने के आदेश दिये है। साथ ही रास्ता किस हद तक सुगम है का अंकन भी अपने आदेश में अंकित नहीं किया है तथा प्रकरण में अदालत मातहत ने रिपोर्ट दिनांक 03.10.2017 तथा 22.07.2021 दोनों पर ही अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है ऐसे में पक्षकार की गैर मौजूदगी में तैयार की गई रिपोर्ट को आधार मानते हुये पारित किये गये आदेश को विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता है।
3. हम वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत है कि रेस्पोडेन्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत आवेदन ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसे में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत खुडाना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह मौके पर दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर तथा नक्शा सीट में अंकित डोटेड रास्ते के माप अनुसार व पक्षकारों का सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड के ग्राम पंचायत खुडाना को प्रेषित की जावें तथा इसकी सूचना अदालत मातहत को दी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू